



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-06.02.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 973/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मु0अ0सं0 05/24 धारा 392/411/336 भादवि, मु0अ0सं0 15/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0सं0 48/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 25.12.2023 को थाना बागपत पुलिस अवैध अस्लाह की सूचना पर अभियुक्त सूरज पुत्र सहदेव निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत की गिरफ्तारी हेतु ग्राम फैजपुर निनाना के जंगल में जयवीर के ट्यूवैल पर पहुँची तो वहाँ पर 02



व्यक्ति मौजूद थे जिनमें से 01 सूरज पुत्र सहदेव निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे पुलिस पार्टी बाल-बाल बची तथा अभियुक्त अपने साथी के साथ ईख के खेत में घुसकर फरार हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 973/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 01.01.2024 को थाना कोतवाली बागपत वादी रजत डागर पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम निरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको तमंचा दिखाकर उसकी मोटर साईकिल नं0 UP-17B-

5306 हीरो स्पेलन्डर को छीन ली है । इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 05/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया ।  
3-दिनांक 06.01.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत द्वारा सूचना दी कि अभियुक्त सूरज पुत्र सहदेव निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत बाउम्मदगी बरामदगी के दौरान जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर फरार हो गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 15/24 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया है ।

### नोट:-

1-मु0अ0सं0 973/23 धारा 307 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त अमित पुत्र जसवीर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना बागपत को दिनांक 27.12.2023 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

2-मु0अ0सं0 05/24 धारा 392 भादवि की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य से अभियुक्तों 1- सूरज पुत्र सहदेव निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना बागपत जनपद बागपत, 2- आकाश पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम दुडभा थाना बागपत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आया तथा अभियुक्त आकाश पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम दुडभा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 05.01.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय बागपत पेश किया जा चुका है तथा बरामदगी के आधार पर धारा 411/336 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बागपत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 973/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मु0अ0सं0 05/24 धारा 392/411/336 भादवि, मु0अ0सं0 15/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मु0अ0सं0 48/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र सहदेव की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सूरज पुत्र सहदेव निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त सूरज का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 99/19 धारा 377 भादवि व 5m/6 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 680/20 धारा 452/307/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 693/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 845/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 733/23 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 973/23 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 05/24 धारा 392/411/336 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 45/24 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 48/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 88/24 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 1047/20 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12-मु0अ0सं0 55/22 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

7-है0का0 202 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

8-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

9-का0 60 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

10-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### एस0ओ0जी0 टीम बागपत

1-निरीक्षक श्री रवेन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी टीम बागपत ।

2-है0का0 434 दीपक कुमार एसओजी टीम बागपत ।

3-है0का0 489 सुनील कुमार एसओजी टीम बागपत ।

4-है0का0 506 विकास कुमार एसओजी टीम बागपत ।

5-का0 25 राजीव कुमार एसओजी टीम बागपत ।

6-का0 375 मोनू शर्मा एसओजी टीम बागपत ।



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

चोरी करने के आरोपी जौली को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 माह 28 दिन का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 1992 में अभियुक्त जौली पुत्र रामबली निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0- 503/1992 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.02.2024 को मा0 न्यायालय CJ.JD/FTC जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त जौली को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 02 माह 28 दिन के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक-06.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनोज पुत्र जीत सिंह निवासी नंगला रवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री रईश हैंदर जैंदी थाना बडौत ।
- 2- है0का0 151 संदीप दहिया थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 06.02.2024

**थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र निजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर राजपूत थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-का0 957 पवन कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 06.02.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

वेदपाल उर्फ वेदू पुत्र तेजपाल निवासी डगरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है0 का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद

।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुये हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 37/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुन्दर पुत्र हरभजन निवासी ग्राम बिचपुडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2. है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



3. है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4. है0का0 68 शाहिद खां थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को  
किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 28 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद

|

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कब्जे से 28 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुये हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 36/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहिद पुत्र रफीक निवासी करुबा अमीनगर सराय थाना सिंघावाली अहीर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 28 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री कपिल चौहान थाना सिंघावाली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावाली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावाली अहीर जनपद बागपत ।